<u>कार्यालयः जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।</u>

<u>आदेश</u>

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन, बुलन्दशहर द्वारा पत्रांक 3781/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनांक 04 अगस्त, 2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 04.08.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिनांक 04.08.2020 को श्री संजय शर्मा, चैम्बर न0–468, ब्लॉक–बी न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर उम्र 52 वर्ष जो पेशे से वकील है, जो न्यायालय परिसर जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में कार्यरत है। इनकी कोविड–19 एन्टीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय परिसर का सैनेटाईजेशन करते हुए 24 घण्टे न्यायालय परिसर बंद करने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/सीपीसी/ईकोर्ट/इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में दिनांक 05.08.2020 को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर सैनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु बन्द रहेगा तथा दिनांक 06.08.2020 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक–04.08.2020

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश) 04/8/2020
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, मुख्यालय जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
2. अध्यक्ष/सचिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
3. अध्यक्ष/सचिव सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
4. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
5. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. समस्त कर्मचारीगण, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
7. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।

दिनांक–04.08.2020

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश) 04/8/2020
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।